rm. No.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
28-6-24	अभिभाषक अपीलांट उपस्थित। अभिभाषक अपीलांट द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलांट लाल्या पुत्र रेवड़ मीना निवासी मोहलाई की मृत्यु दिनांक 17-2-2024 को हो चुकी है साथ ही मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति पेश की गई। पत्रावली का अवलोकन किया एवं अभिभाषक अपीलांट के कथन पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के अनुसार अपीलांट लाल्या पुत्र रेवड़ मीना की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी स्थिति में अपीलांट अतिक्रमी के विरुद्ध कोई कार्यवाही किये जाने का औचित्य नहीं है अतः प्रकरण नं. 55/2018 सरकार बनाम लाल्या में अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार बहरावण्डा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28-8-2018 में आरोपित शास्ति एवं सिविल कारावास की सजा को निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बहरावण्डा को प्रेषित की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली लौटाई जावे। पत्रावली पौतल शुमार की जाकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ अभिलेखागार की जावे। निर्णय आज दिनांक 28-6-24 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सुमित्रा पारीक) अति. जिला कलेक्टर दौसा (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:10:44 IST
Reason: SelfAttested